



दूरभाष-2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ

नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

पत्रांक: 1548/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)

दिनांक- 16/7/15

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
उत्तर प्रदेश।

2. नगर आयुक्त  
नगर निगम

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुसादाबाद, बरेली,  
गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।

3. अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत

लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ,  
बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चदौसी, शिकोहाबाद,  
मुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर,  
गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी,  
ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली,  
रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर,  
नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वा, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर,  
कन्नौज, पडरौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर),  
सिद्धार्थनगर, राबटसगंज (सोनभद्र) / अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर  
(कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय:-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत  
विकास के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  
(PMSBY) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) अटल पेंशन योजना  
(APY) को सम्मिलित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या K-14014/2/2014-UPA/FTS-10575  
दिनांक 27.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न) जिसके  
माध्यम से भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत 03 महत्वपूर्ण योजनाओं का  
शुभारम्भ किया गया है। उक्त योजनाएं सभी नागरिकों हेतु बहुत लाभप्रद योजनाएं हैं मुख्य  
रूप से शहरी गरीबों हेतु उक्त योजनाएं अत्यन्त लाभकारी हैं जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक  
है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं  
संस्थागत विकास के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता में  
इन योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार कर शहरी गरीबों को लाभान्वित कराया जाय।  
योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)-

एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत सभी बचत खाता धारकों को  
दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा  
सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 01 साल तक वैलिड रहेगी, जिसे प्रति एक





वर्ष बाद रिन्यू करवाना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु एवं पूर्णतः विकलांग होने पर 02 लाख रुपये एवं आंशिकतौर पर अपंग होने पर 01 लाख रुपये बीमा राशि दी जायेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति जुड़ सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी।

#### प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए योग्यता-

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति लाभ उठा सकता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है।
- अगर किसी उपभोक्ता का 01 या अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं।

#### प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ कैसे लें:-

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए खाता धारक को सर्व प्रथम अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा इसके बाद प्रति वर्ष 01 जून से पहले एक फार्म भरकर बैंक में देना होगा। इतनी छोटी प्रक्रिया के बाद खाता धारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता है।

#### प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम भुगतान :

इस योजना के लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष देना होगा जो कि खाते से बैंक द्वारा सीधे ही काट लिया जायेगा।

#### प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिया जाने वाला कवरेज :

- दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से शारीरिक विकलांगता होने पर 02 लाख रुपये दिए जायेंगे।
- आंशिक विकलांगता के लिए 01 लाख रुपये का कवरेज दिया जायेगा।

#### प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत योजना से जुड़े रहने के विकल्प:-

- प्रति वर्ष 01 जून से पहले फार्म भरें, फार्म जमा करने के बाद बैंक प्रीमियम राशि खाते से काट लेगी।
- दूसरा ऑप्शन है 02 से 04 वर्ष का (Long time risk coverage) अगर धारक इसे चुनता है तो प्रीमियम राशि प्रति वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जायेगी।
- धारक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष 12 रुपये 31 मई से पहले प्रीमियम के तौर पर भरने होंगे।



**आवेदन फार्म :-**

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए एप्लीकेशन फार्म बैंक, बीमा कंपनी एवं ऑनलाइन(<http://financialservices.gov.in/HINDI/jansurakshaHindi/final%20PMSBY%20consent.pdf>) प्राप्त किया जा सकता है।

**क्लेम फार्म :-**

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा राशि के लिए क्लेम करने हेतु फॉर्म बैंक, बीमा कंपनी एवं ऑनलाइन (<http://financialservices.gov.in/HINDI/jansurakshaHindi/final%20PMSBY%20claim%20form.pdf>) प्राप्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी प्रकार की नामित बीमा कंपनियां एवं बैंक के माध्यम से शुरू की गई है।

**2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:-**

एक प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से बचत खाता धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि मिलने का प्रावधान है, योजना के तहत बचत खाता धारक के परिवार जनों को 02 लाख रुपये की राशि मिलेगी। योजना को प्रति वर्ष 31 मई से पहले रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए प्रीमियम शुल्क 330 रुपये प्रति वर्ष तय किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाला व्यक्ति ही शामिल हो सकता है।

**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए योग्यता:-**

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाला बैंक खाता धारक उठा सकता है। योजना धारक के नाम से शुरू की जाएगी, जिसमें वह अपना उत्तराधिकारी का नाम देगा।
- इसके लिए आधार कार्ड नंबर होना आवश्यक है।
- योजना में शामिल होने के लिए एक स्व प्रमाणित स्वस्थ प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ कैसे लें:-**

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए खाता धारक को बैंक से जोड़ना होगा। इसके बाद प्रति वर्ष 31 मई तक फार्म भरकर बैंक में देना होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठा सकता है।

**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म:-**

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ने के लिए फॉर्म बैंक अथवा बीमा कंपनी से प्राप्त किया जा सकता है अगर ऑनलाइन फॉर्म चाहिये तब नीचे दी गई लिंक से फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। (<http://financialservices.gov.in/HINDI/jansurakshaHindi/PMJJBY%20consent%20form-hindi.pdf>) प्राप्त किया जा सकता है।





**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए क्लेम फॉर्म:-**

मृत्यु के पश्चात धारक के घर के लोग प्रीमियम के लिए क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए वे फॉर्म बैंक अथवा बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के लिए इस लिंक पर "(http://financialservices.gov.in/HINDI/jansurakshaHindi/PMJJBYclaim%20form-hindi.pdf) जाकर प्राप्त किया जा सकता है।

**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रीमियम भुगतान:-**

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत खाता धारक को 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरना होगा। यह राशि बचत खाते द्वारा स्वतः ही काट ली जाएगी, लेकिन इसके लिए फॉर्म पर यह विकल्प भरना होगा और टाइम पर पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा।

**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दिया जाने वाला कवरेज:-**

योजना के अंतर्गत धारक के परिवार को उसकी मृत्यु के लिए 02 लाख रुपये की राशि दी जाएगी चाहे मृत्यु दुर्घटना के कारण हो या स्वाभाविक।

**प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत योजना से जुड़े रहने के विकल्प:-**

- योजना को सुचारू रखने के लिए प्रति वर्ष धारक को एक फॉर्म 01 जून से पहले भरकर जमा करना अनिवार्य, जिसके बाद प्रीमियम राशि खाते से बैंक द्वारा ले ली जाएगी।
- दूसरा ऑप्शन है अगर धारक लंबा अनुबंध करना चाहता है तब 02 से 04 वर्ष का (Long Time Risk Coverage) को चुन सकता है। इसके तहत प्रीमियम राशि प्रति वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी।

### 3. अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई0) भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है। एपीवाई के अन्तर्गत अभिदाताओं के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000/- रुपये, 2000/- रुपये, 3000/- रुपये, 4000/- रुपये, और 5000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम तयशुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी।

**अटल पेंशन योजना (APY) हेतु अर्हता**

भारत के कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

- (i) अभिदाता की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- (ii) उसका एक बचत बैंक खाता होना चाहिए/उसे एक बैंक बचत बैंक खाता खोलना चाहिए।
- (iii) सम्भावित आवेदक के पास मोबाइल नम्बर होना चाहिए तथा उसका विवरण पंजीकरण के दौरान बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

4



दूरभाष-2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र० लखनऊ

नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

उन अभिदाताओं के लिए जो कि योजना में 01 जूल, 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान शामिल होते हैं तथा जो किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा कवर नहीं होते हैं और आयकरदाता नहीं हैं, के लिए सरकार का सह-अंशदान 05 वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2019-20 तक उपलब्ध है।

अतः राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामुदायिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी गरीबों को उल्लिखित योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु वृहद स्तर पर सामुदायिक गतिशीलता में उक्त महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मिलित कर प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
3. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, शहर मिशन प्रबंधन इकाई।
4. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा।
5. सहायक वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड एवं ईमेल से प्रेषण हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक



Shri Shri Prakash Singh  
Director, State Urban Development Agency  
Government of Uttar Pradesh  
Navchetna Kendra 10, Ashok Marg,  
Lucknow - 226 001

Subject: Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and the Atal Pension Yojana -regarding.

Sir/Madam,

I am directed to refer to letter dated 1.05.2015 (copy enclosed) of Ministry of Finance on the above mentioned subject and to say the following scheme have been launched by the Hon'ble Prime Minister on 9<sup>th</sup> May, 2015:


- (i) The Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY): It will offer a renewable one year Rupees two lakh accident cum disability cover (Rupees One Lakh for partial permanent disability) to all savings bank account holders in the age group of 18 to 70 years for a premium of Rs. 12/- per annum per subscriber to be auto-debited from the subscriber's bank account on enrolment in the scheme.
- (ii) The Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY): It offers a renewable one year Rupees two lakh life cover to all savings bank account holders in the age group of 18 to 50 years, covering death due to any reason, for a premium of Rs. 330/- per annum per subscriber to be auto-debited from the subscriber's bank account on enrolment in the scheme.
- (iii) The Atal Pension Yojana (APY): It targets old age income security and will focus on the unorganized sector. It will provide subscribers a fixed minimum pension per month starting at the age of 60 years on entering the scheme at an age between 18 to 40 years, to ensure a minimum period of contribution of 20 years or more to enable an adequate pension corpus. The fixed minimum pension would be guaranteed by the Government. While the scheme is open to bank account holders in the prescribed age group, the Central Government would also co-contribute 50% of the total contribution or Rs. 1000 per annum, whichever is lower, for a period of 5 years for those joining the scheme before 31<sup>st</sup> December, 2015 and are not

2. One of the important objective of Social Mobilization and Institution Development (SMID) component of National Urban Livelihoods Mission (NULM) is to ensure universal financial inclusion of urban poor by providing financial literacy, opening of bank account and facilitating affordable insurance.

3. In view of the above, it is requested that the necessary instructions may kindly be issued to the ULBs of your State/UT to suitably publicize and spread awareness about these schemes among urban poor through SHGs, training Centres, financial literacy camps etc.

Encl.: as above

Yours faithfully,



(Sailesh Jogiani)

Under Secretary to the Government of India

Tel: 23061185



377



डा. हसमुख अधिया, भा.प्र.से.  
सचिव

Dr. Hasmukh Adhia, IAS  
Secretary



भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
नई दिल्ली

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Financial Services  
New Delhi  
1<sup>st</sup> May, 2015

D.O.No.G-12011/2/2015-Ins.II

**Subject: Launch of the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and the Atal Pension Yojana by the Prime Minister on 9<sup>th</sup> May 2015 at Kolkata**

Dear

As you would be aware the Budget Speech 2015 had envisaged three Social Security Schemes pertaining to the insurance and pension sector, namely the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and an old age income security pension scheme, the Atal Pension Yojana (APY), to move towards creating a universal social security system, targeted especially at the poor and the under-privileged.

2. PMSBY will offer a renewable one year Rupees two lakh accident cum disability cover (Rupees One Lakh for partial permanent disability) to all savings bank account holders in the age group of 18 to 70 years for a premium of Rs. 12/- per annum per subscriber to be auto-debited from the subscriber's bank account on enrolment in the scheme.

3. PMJJBY on the other hand offers a renewable one year Rupees two Lakh life cover to all savings bank account holders in the age group of 18 to 50 years, covering death due to any reason, for a premium of Rs.330/- per annum per subscriber to be auto-debited from the subscriber's bank account on enrolment in the scheme.

4. APY, the third scheme to be launched, targets old age income security and will focus on the unorganised sector. It will provide subscribers a fixed minimum pension per month starting at the age of 60 years on entering the scheme at an age between 18 and 40 years, to ensure a minimum period of contribution of 20 years or more to enable an adequate pension corpus. The fixed minimum pension would be guaranteed by the Government. While the scheme is open to bank account holders in the prescribed age group, the Central Government would also co-contribute 50% of the total contribution or Rs. 1000 per annum, whichever is lower, for a period of 5 years for those joining the scheme before 31<sup>st</sup> December, 2015 and are not members of any statutory social security scheme, and are not income tax payers.

5. I am happy to inform that the Hon'ble Prime Minister shall be launching these schemes Nationally at a function to be held at Kolkata at 6PM on 9<sup>th</sup> May 2015. Linked functions with VC connectivity are envisaged across the country, including in all State capitals. I am writing to request your support in the organization of these functions in your State and the participation of the Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Governor of the



210

State. We are also planning similar launch functions in places other than State Capitals, where senior Ministers from the State Government could be deputed to participate. Central Ministers will also be present at all such functions. A request in this regard is being sent by the Finance Minister to the Chief Minister.

6. As indicated vide our earlier communication of even number dated 28<sup>th</sup> April 2015, coordinated by the State Level Bankers Committee (SLBC) coordinators and their Insurance Sector counterparts, participating Banks / Insurance Companies in every State are organizing pre-enrolment camps for PMSBY and PMJJBY from 1<sup>st</sup> May onwards in all Branches / fixed Business Correspondent locations, leading up to the formal launch of the schemes on 9<sup>th</sup> May 2015. The cooperation and support of the State Government is requested in this regard also.

7. In this context, I also take this opportunity to request you to consider encouraging various groups associated with State Government programmes, like MGNREGA workers, Aanganwadi workers, Self Help Groups, farmers, Vidya Volunteers / Para-teachers, industrial workers, government employees at all levels across departments etc. to subscribe to these schemes through their bank accounts so that they are able to get the significant insurance cover of up to Rs.4 Lakh (in the event of accidental death) from the two schemes subscribed to together, at a very reasonable premium of Rs.342/- (Rs. 330/- for PMJJBY and Rs. 12/-for PMSBY) per annum. This would enhance the level of insurance penetration in the country and would serve the cause of extending critical insurance cover at a very affordable cost through a systematic bank account based platform.

8. You are kindly requested to circulate this information to all departments in the State Government to systematically reach out to such groups, including State Government employees in the Headquarters and the Field, who could subscribe by approaching the bank branches in which they have savings accounts. The SLBC Coordinators in State and their associated Insurance Sector colleagues could also facilitate special camps for this purpose at the request of the State Government.

9. As outlined above, the support and guidance of the State Government is requested in:

(i) Facilitating the organization of the above mentioned enrolment camps across the State from 1<sup>st</sup> May 2015 onwards through the efforts of the SLBC coordinators and participating Banks / Insurance Companies.

(ii) Participation of State Government Departments in the enrolment drive, as suggested above.

(iii) Facilitating arrangements for the launch day functions in the State on 9<sup>th</sup> May 2015 and facilitating the participation of dignitaries as mentioned above. An indicative programme is enclosed.



10. I am confident that with your support and guidance for the various actions that are underway in the State, and the proposed launch event on 9<sup>th</sup> May 2015, as requested above, this ambitious initiative aimed at providing subscribers to these schemes and their families with significantly enhanced social security through an affordable and convenient bank based platform, will be a grand success. The SLBC coordinator in the State who will be working towards making the various arrangements along with the counterpart Insurance Company officers, and my colleagues, will be in touch with your office, to follow up in this regard and finalize the arrangements. You are also kindly requested to designate the State Mission Director, PMJDY in the State Government as the nodal officer for liaison and coordination in the matter.

11. I look forward to your feedback in this regard.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Hasmukh Adhia)

Encl: As above

To Chief Secretaries of all States / UTs  
(other than WB, Delhi and Puducherry)

Not on original

Copy to:

- i) All Secretaries to Government of India and Chairman Railway Board with the request that awareness regarding the above Insurance schemes may be created amongst all Government employees and citizens' groups associated with the department to enable them to enroll through their Bank branches / camps, as per their preference and eligibility. (without enclosure)
- ii) All SLBC Coordinators in the State to establish contact with the State Administration in each State along with their Insurance Sector counterparts and ensure the above arrangements. (with enclosure)

1A/1